



ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान

हाल ही में **NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के समाधान हेतु मौजूदा **ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान (GRAP)** में संशोधन की घोषणा की है।

- संशोधित GRAP में **लक्ष्य कार्रवाईयाँ शामिल हैं** जिन्हें एक नश्चित सीमा से अधिक प्रदूषण होने पर दलिली के **AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक)** जैसी ज़मिमेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।
- इससे पहले जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रसिर्च में बताया गया है कि वर्ष **2018-2021 के दौरान भारतीय वायु प्रदूषण** में मानव-प्रेरित प्रदूषण का अधिकतम स्तर देखा गया है। इस रसिर्च का शीर्षक था "**सेंटिनल-5पी और गूगल अर्थ इंजन का उपयोग मशीन लर्निंग-आधारित देश-स्तरीय वार्षिक वायु प्रदूषक अन्वेषण**"।

ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान (GRAP):

■ परिचय:

- GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दलिली-NCR क्षेत्र में एक नश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गरिवट को रोकने के लिये लागू होता है।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।

■ कार्यान्वयन:

- वर्ष 2021 से GRAP को **CAQM** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
 - वर्ष 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयिकृत **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
- EPCA को भंग कर वर्ष 2020 में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा इसे प्रतस्थापित किया गया था।
- **CAQM भारतीय उष्णकटबंधीय मौसम वजिज्ञान संस्थान (IITM)** और **भारत मौसम वजिज्ञान विभाग (IMD)** द्वारा वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर नरिभर करता है।

■ संशोधन:

- **चरण I [खराब (Poor)- AQI 201-300]:** अधिक पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर NGT/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें।
- **चरण II [बहुत खराब (Very Poor)- AQI 301-400]:** क्षेत्र में चहिनति हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से नपिटने के लिये लक्ष्यित कार्रवाई। NCR के सभी क्षेत्रों में डीज़ल जेनरेटर का वनियमित संचालन नरिधारित किया गया है।
- **चरण III [गंभीर (Severe)- AQI 401-450]:** कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीज़ल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतबंध लगाया जाएगा तथा कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिये स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थिति वाली कक्षाएँ नलिंबित हो सकती हैं।
- **चरण IV [गंभीर प्लस (Severe Plus)- AQI 450 से अधिक]:** जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों तथा BS-VI डीज़ल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दलिली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को शहरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट: AQI एक संख्या है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियाँ वायु प्रदूषण के स्तर को मापने हेतु करती हैं तथा इससे संबंधित सूचना को जन-जन तक संचारित करती हैं। जैसे-जैसे AQI बढ़ता है, इसका मतलब है कि आबादी का एक बड़ा प्रतशित गंभीर प्रतकिल स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करेगा।

वायु प्रदूषण से नपिटने हेतु सरकार की पहल:

- **ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान (दलिली)**
- **प्रदूषणकरता द्वारा भुगतान के सिद्धांत (Polluter Pays Principle)**

- [समॉग टॉवर](#)
- [सबसे ऊँचा वायु शोधक](#)
- [राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम \(National Clean Air Programme- NCAP\)](#)
- [BS-VI वाहन](#)
- [वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग](#)
- [टर्बो हैपपी सीडर \(Turbo Happy Seeder-THS\)](#)
- [वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान \(SAFAR\)](#)
- [वायु गुणवत्ता की नगिरानी के लिये डैशबोर्ड](#)
- [राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक \(Air Quality Index- AQI\)](#)
- [वायु \(प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण\) अधिनियम, 1981](#)
- [प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना \(PMUY\)](#)

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/graded-response-action-plan-2>

